पत्रांक 2159 आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0कर0 / विधि–अनु0 / 2015–16

कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
देहरादून:: दिनांक: 25 जुलाई, 2015

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
एवं समस्त वाणिज्य कर अधिकारी उत्तराखण्ड।

विषय:– **e-Form 16 जारी / प्रयोग करने सम्बन्धी।**

मुख्यालय के पत्र संख्या 1391 / आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0क0 / विधि अनु0 / 2015–16 दिनॉक 06–06–2015 के द्वारा e-Form 16 जारी / प्रयोग करने सम्बन्धी परिपत्र जारी किया गया था जिसके अन्तर्गत विभाग द्वारा व्यापारियों को आयात किये जाने हेतु दिये जाने वाले फार्म–16 के सम्बन्ध में साफ्टवेयर विकसित किये जाने के क्रम में व्यापारी को बिना कार्यालय में आये फार्म–16 हेतु ऑनलाईन एप्लीकेशन देने की सुविधा दी गयी है। इसके अन्तर्गत अधिकारी द्वारा भी फार्म–16 ऑनलाईन ही जारी किये जायेगें। इसके अतिरिक्त उक्त परिपत्र के माध्यम से निम्न व्यवस्था परिचालित की गयी थी :–

1– इस सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा अपने Login Password से फॉर्म हेतु आवेदन किया जायेगा, तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने Login Password से अपने कार्यालय में सॉफ्टवेयर द्वारा e-Form 16 जारी किये जाएंगे।

2– इस प्रक्रिया में व्यापारी को वर्तमान में जारी होने वाले प्रिन्टेड फॉर्म–16 जारी नहीं किये जाएंगे एवं न ही व्यापारी को आयात किए जा रहे माल के साथ e-Form 16 का प्रिन्टआउट ले कर चलने की आवश्यकता होगी।

3– चूंकि व्यापारी को प्रिन्टेड फॉर्म–16 जारी नहीं किये जायेंगे इसलिये उनके द्वारा कार्यालय में भी फार्म–16 का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

4– इस प्रकार जारी होने वाले e-Form 16 के लिए व्यापारी से नियम–30 के अनुसार प्रति फॉर्म धनराशि प्राप्त की जाएगी।

उक्त क्रम में प्रथम चरण में विभाग में पंजीकृत 64 ऐसे व्यापारियों को यह सुविधा प्रदान की गयी थी, जिनका कर निर्धारण वर्ष 2014–15 में सकल विक्रय धन रू0 500 करोड़ से अधिक है।

सम्यक विचारोपरान्त प्रथम चरण में विभाग में पंजीकृत 64 ऐसे व्यापारियों जिनका कर निर्धारण वर्ष 2014–15 में सकल विक्रय धन रू0 500 करोड़ से अधिक है, को दी जाने वाली इस सुविधा को विस्तारित करते हुये विभाग में पंजीकृत 297 ऐसे व्यापारियों को, जिनका कर निर्धारण वर्ष 2014–15 में सकल विक्रय धन रू0 100 करोड़ से अधिक एवं रू0 500 करोड़ तक है, को भी यह सुविधा प्रदान किये जाने विषयक संशोधन किया जाता है। **(सूची संलग्न)**

क्रमश:...2

इसके अतिरिक्त ऐसे व्यापारी जिनका वर्ष 2014–15 में सकल विक्रयधन रु0 100 करोड़ से कम है, हेतु e-Form 16 प्रयोग करने सम्बन्धी विकल्प की सुविधा इस शर्त पर दी जा रही है कि वे सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को e-Form 16 प्रयोग करने सम्बन्धी आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगें, जिसके उपरान्त ऐसे व्यापारी e-Form 16 इस प्रतिबन्ध के साथ प्रयोग कर सकेगें कि e-Form 16 का प्रयोग करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र दिये जाने के पश्चात विभाग द्वारा निर्धारित तिथि के उपरान्त ऐसे व्यापारियों द्वारा प्रिन्टेड फार्म–16 का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

उपरोक्त क्रम में सभी कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संलग्न सूची में से अपने क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित व्यापारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर इस आशय से अवगत कराने तथा इस सम्बन्ध में होने वाली ट्रेनिंग में स्वयं व सम्बन्धित व्यापारियों व उनके ट्रांसपोर्टरों को भी प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें, ताकि इस प्रक्रिया के शुरू होने पर किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0पं0सं0 2159 **/दिनांक :: उक्त ::**

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सलाहकार 'कर' उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
4– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून/कुमांउ जोन, रुद्रपुर।
5– एडिशनल कमिश्नर, (ऑडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून।
6– ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
8– ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार/रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9– मौ0 शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं web Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
10– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रुड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
11– आई0टी0 अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।
12– Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर II Floor 13– आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई–400001 महाराष्ट्र
13– National Law House बी–2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
14– National Law Management House 15 /5 राजनगर, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश।
15– Swastik Publication एस0ई–233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तरप्रदेश।

क्रमशः–3–पर

16– Law Book Traders 10–नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड मेरठ उ0प्र0।
17– डिप्टी कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, नैनीताल।
18– अध्यक्ष इण्डस्ट्रीजएसोसिएशनऑफउत्तराखण्डसर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज,मोहब्बेवालऔद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
19– प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमण्डल, कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़, देहरादून।
20– दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़, देहरादून।
21– प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्त0 सर्वश्री दीवान ट्रेडिंग कम्पनी, 81–मोती बाजार,
22– The whole sale dealers Association 14– आढ़त बाजार, देहरादून।
23– प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम, देहरादून।
24– कार्यालय अधीक्षक/विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।
25– समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।